लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2859

जिसका उत्तर बुधवार, 06 अगस्त, 2025 को दिया जाएगा

एमएसएमई को सहायता

2859. श्री चिन्तामणि महाराज:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की बीआईएस प्रमाणन प्राप्त करने में सहायता के लिए कोई विशेष पहल या योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान शुल्क में छूट, सरलीकृत प्रक्रियाओं और जागरूकता अभियानों सहित की गई ऐसी पहलों/कार्यान्वित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या बीआईएस ने एमएसएमई का गुणवत्ता मानकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कोई सीधा संवाद किया है या कोई सहभागिता पहल की है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) और (ख) : एमएसएमई को समर्थन देने के लिए, बीआईएस द्वारा वार्षिक न्यूनतम अंकन शुल्क में 80% (सूक्ष्म पैमाने की इकाइयों के लिए), 50% (लघु पैमाने की इकाइयों के लिए) और 20% (मध्यम पैमाने की इकाइयों) की रियायत के साथ वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। उन इकाइयों को 10% की अतिरिक्त रियायत भी प्रदान की जाती है जो या तो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में स्थित हैं या महिला उद्यमियों के नेतृत्व वाली एमएसएमई इकाइयां हैं।

निरीक्षण एवं परीक्षण स्कीमों (एसआईटी) में दिए गए 'नियंत्रण स्तर' अनिवार्य नहीं होते हैं। विनिर्माता के पास अपनी स्वयं की नियंत्रण इकाई/बैच/लॉट तथा अपने स्वयं के नियंत्रण स्तर को परिभाषित करने तथा बीआईएस को सूचित करने का विकल्प होता है। इसके अलावा एमएसएमई इकाइयों के लिए आंतरिक प्रयोगशाला बनाए रखने की आवश्यकता को वैकल्पिक बना दिया गया है। एमएसएमई इकाइयों को बाहरी बीआईएस मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं, एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की सेवाओं का उपयोग करने या यहां तक कि क्लस्टर आधारित प्रयोगशालाओं या अन्य विनिर्माण इकाइयों की प्रयोगशालाओं जैसे संसाधनों को साझा करने की अनुमति है।

घरेलू विनिर्माताओं के लिए, देश के सभी शाखा कार्यालयों (बीओ) में उत्पाद प्रमाणन गतिविधियों और प्रक्रियाओं के संचालन को डिजिटल कर दिया गया है। उत्पाद प्रमाणन गतिविधियों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 'मानक ऑनलाइन' उपलब्ध है जिसमें सभी संचार, भुगतान, पूछताछ सहित आवेदन जमा करने से लेकर प्रमाणन प्रदान करने की सुविधा पोर्टल के माध्यम से ही उपलब्ध है। प्रमाणपत्रों का नवीनीकरण भी बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित कर दिया गया है। विनिर्माता अपनी सुविधानुसार नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है और ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण के बाद, नवीनीकरण अनुमोदन जनरेट हो जाता है, जिससे प्रमाणन की वैधता बढ़ जाती है।

(ग): बीआईएस द्वारा क्षेत्र विशेष पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थानीय स्तर पर उद्योग के लिए लक्षित जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनमें मानकों, उन्हें लागू करने के उपायों और बीआईएस प्रमाणन प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

प्रमाणित विनिर्माताओं को गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत करने और उन्हें ओरिऐंटेशन प्रदान करने के लिए बीआईएस द्वारा मानक संवाद की शुरुआत की गई है।

बीआईएस ने मानकों के विकास और उनके व्यावहारिक कार्यान्वयन के बीच के अंतर को कम करने के लिए स्थानीय विनिर्माताओं, विशेष रूप से एमएसएमई सहित जमीनी स्तर पर हितधारकों के साथ अपने जुड़ाव को मजबूत किया है। मानक विकास के मसौदा चरण के अलावा, बीआईएस 'मानक मंथन' के माध्यम से नए मानकों के निर्माण और मौजूदा मानकों के संशोधन के चरण में भी फीडबैक के लिए अवसर पैदा करने में संलग्न है।

इसके अलावा, देश भर में बीआईएस द्वारा कैप्सूल पाठ्यक्रम के रूप में ज्ञात उत्पाद विशिष्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। ये 1-2 दिनों के अल्पकालिक पाठ्यक्रम हैं जो उद्योग की रुचि के विशिष्ट उत्पादों को ध्यान में रखते हुए, संबंधित भारतीय मानकों की आवश्यकताओं पर केंद्रित हैं। गुणवत्ता मानकों को अपनाने के लिए एमएसएमई को प्रोत्साहित करने हेतु ये पाठ्यक्रम निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं।

*****